छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

क्रमांक /वि.स./स्था./2025 रायपुर, दिनांक / /2025

//कार्यालय -आदेश//

आदेशानुसार, षष्ठम् विधानसभा का षष्ठम् सत्र दिनांक 14.07.2025 से दिनांक 18.07.2025 तक आहूत किया गया है। सत्रावधि के दौरान जिस दिन सभा की बैठक होगी, उन दिनों में विधान सभा सचिवालय का कार्यालयीन समय प्रातः 10:00 बजे से सायं 06:00 बजे तक रहेगा, किन्तु यदि सभा की बैठक निर्धारित समय से अधिक समय तक चलती है, तो कार्यालय का समय सभा की बैठक समाप्त होने के एक घण्टे पश्चात् तक रहेगा।

दिनांक 14 जुलाई, 2025 को कार्यालय का समय प्रातः 09:30 बजे से सायं 06:00 बजे तक या कार्य समाप्ति तक रहेगा। शासकीय अवकाश दिवस दिनांक 05,12,13 जुलाई, 2025 को कार्यालयीन समय प्रतिदिन अनुसार प्रातः 10:00 बजे से 5:30 तक रहेगा।

समस्त अधिकारी/कर्मचारी **उन्हें प्रदायित शर्ट, पेंट के साथ जैकेट अथवा प्रदायित ब्लेजर** में दृष्टव्य रूप से अपना परिचय पत्र लगाकर कार्यालय आयेंगे। समस्त वाहन चालक/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भी उन्हें प्रदाय किए गए निर्धारित वर्दी, जूते एवं टोपी पहन कर दृष्टव्य रूप से अपना परिचय पत्र लगाकर कार्यालय में उपस्थित रहेंगे।

सत्र के दौरान यदि सभा की बैठक निर्धारित समय से अधिक समय तक चलती है तो पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय एवं सिद्धार्थ चौक जाने वाले बस का प्रस्थान समय निर्धारित कार्यालय समय समाप्ति के 30 मिनट पश्चात् एवं विजेता काम्पलेक्स जाने वाली बस का प्रस्थान समय 01 घण्टे पश्चात् रहेगा।

निर्धारित कार्यालय समय के पश्चात् समस्त अधिकारी सचिव महोदय की अनुमति प्राप्त कर एवं समस्त कर्मचारी अपने प्रभारी अधिकारी की अनुमति प्राप्त कर ही कार्यालय छोड़ेंगे। समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों से यह अपेक्षित है कि समय का आवश्यक रूप से ध्यान रखें।

आदेश से,

हस्ता/-

संचालक

छत्तीसगढ़ विधान सभा

पृ. क्रमांक 8454/वि.स./स्था./2025 रायपुर, दिनांक 03/07 /2025

प्रतिलिपिः-

01. मान. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विधान सभा के सचिव को मान. अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ।

02. मान. नेता प्रतिपक्ष, छत्तीसगढ़ विधान सभा के विशेष सहायक को मान. नेता प्रतिपक्ष महोदय के सूचनार्थ।

03. सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय के स्टॉफ ऑफिसर को सचिव महोदय के सूचनार्थ।

04. समस्त अधिकारी/कर्मचारी, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ व पालनार्थ।

05. सर्वर कक्ष।

03/07/25

प्रशासकीय अधिकारी
छत्तीसगढ़ विधान सभा